THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) During current year, a central subsidy of 30% to private and public sectors and 40% to government and non-profit making organisations is available for the installation of low grade solar thermal devices such as solar water heating systems. A maximum subsidy of Rs. 3000, Rs. 150 and Rs. 1050 is available for Domestic Water Heater, Solar Cooker and Community Solar Cooker respectively.

Solar Photovoltaic Programme is, however, being implemented as a demonstration programme by State Nodal agencies, with financial assistance from the Central Government.

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियों के प्रस्तुत किए जाने पर धन का लौटाया जाना

*12. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ऐसे पालिसी-धारकों को समय पर धन की अदायगी नहीं करता है, जो अपनी पालिसियों को परिपक्वता अवधि के पूर्ण होने पर प्रस्तुत करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निगम के सान्ताक्रुज, मुम्बई स्थित कार्यालय में ऐसे पालिसी-धारकों की संख्या कितनी है, जिन्होंने 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अपनी पालिसियां प्रस्तुत की हैं;

(घ) ऐसे पालिसी धारकों की संख्या कितनी है, जिसके मामले में धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) ऐसे दावों की संख्या कितनी है जिनका अभी तक निपटान नहीं किया गया है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अपनी पालिसियां प्रस्तुत करने वाले पालिसीधारकों को दावा-राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.4.1991 से 31.12.1991 तक की अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के सांताक्रुज, बम्बई कार्यालय द्वारा पालिसियां प्रस्तुत (अभ्यर्पित) करने के संबंध में अपने पालिसीधारकों से 6282 आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए जिनकी सब औपचारिकताएं उचित रूप से पूरी कर दी गई थीं।

(घ) उपर्युक्त 6282 मामलों में से 6280 मामलों में प्रस्तुत पालिसियों की राशि पालिसी-धारकों को अदा कर दी गई है।

(ङ) और (च) 6282 मामलों में से केवल दो मामले ऐसे हैं जो संबंधित रिकार्ड के अभाव में लम्बित पड़े हैं। इन दोनों मामलों को यथासम्भव शीघ्र निपटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में संचार की अपर्याप्त सुविधाएं

*13. **कुमारी आलिया:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में कुछ गांवों को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर डाक और टेलीफोन-सुविधाओं का लगभग अभाव बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1991-92 के वर्ष के दौरान देश में कितने गांवों में संचार सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी नहीं। जहां तक डाक सुविधाओं का संबंध है, फैजाबाद जिले की स्थिति काफी अच्छी है। फैजाबाद जिले में एक डाकघर द्वारा जितने औसत क्षेत्र और जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है वह क्रमशः 7.07 वर्ग कि॰ मी॰ और 4567 व्यक्ति हैं। इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत क्रमशः 22.10 वर्ग कि॰ मी॰ क्षेत्र और व्यक्तियों की संख्या 4607 है।

फैजाबाद जिले में, जहां तक टेलीफोन सुविधा का संबंध है, इस जिला मुख्यालय, सभी तहसील मुख्यालयों, 18 ब्लॉक मुख्यालयों और 63 ग्राम पंचायतों में ये सुविधा इस समय उपलब्ध है। इसके अलावा, देश की सभी ग्राम पंचायतों को मार्च, 1995 तक टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनमें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण इलाकों के लिए अब तक 660 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की मंजूरी दी जा चुकी है और अन्य 238 मामलों में मंजूरी जारी की जा रही है।